हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 03 अक्तूबर 2024, समय 1305 (5 मिनट)

हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। 90 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए एक ही चरण में शनिवार को मतदान होगा। मतगणना 8 अक्तूबर को की जाएगी।प्रचार के अंतिम दिन आज कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हूडा ने कालका में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। वहीं जन नायक जनता पार्टी की नेता नैना चौटाला ने पंचकूला में अपने प्रत्याशी सुशील गर्ग के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए रोड शो निकाल । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कलायत और सफीदों विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा भी अंबाला शहर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे पार्टी प्रत्याशी असीम गोयल के समर्थन में जनसभा और रोड शो करेंगे। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज नूह, महेंद्रगढ़, अटेली और नारनौल विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं।इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला देशवाल और ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे।इस बीच, निर्वाचन =आयोग ने 5 अक्टूबर को मतदान के दिन शाम साढ़े छह बजे तक किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगा दी है। इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही अन्य माध्यम से एग्जिट पोल का प्रकाशन या प्रसार शामिल है।

****

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए कल रवाना की जाएंगी।

चुनाव ड्यूटी पर जा रहे मतदान दल के कार्य में अगर कोई असामाजिक तत्व या राजनीतिक पार्टियां अपने प्रभाव के चलते उनकी ड्यूटी में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र के अंदर यदि किसी व्यक्ति का आचरण सही नहीं है या पीठासीन अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करता है तो उसे ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी द्वारा मतदान केंद्र से बाहर निकाला जा सकता है। उसके बाद भी यदि वह व्यक्ति पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना मतदान केंद्र में पुनः प्रवेश करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 132 के तहत 3 माह की जेल या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।

****

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि आदर् आचार संहिता के उल्लंघन और मतदाताओं को प्रलोभन देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा के आम चुनाव के दौरान आयोग को ऐसे उदाहरण मिले, जहां कुछ राजनीतिक दल और उम्मीदवार ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं।श्री अग्रवाल ने कहा कि व्यक्तिगत मतदाताओं को भविष्य के लाभ के बदले में एक विशेष तरीके से मतदान करने के लिए लुभाना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निषेध है। यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 171 का भी उल्लंघन है ।आयोग ने सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों, उनके एजेंटों अथवा आम व्यक्ति को किसी भी विज्ञापन, पर्चे, वेबसाइट, वेब या मोबाइल एप्लिकेशन, टेक्स्ट या सोशल मीडिया पर संदेशों, मिस्ड कॉल, फॉर्म के वितरण, या ऑफ लाइन सर्वेक्षण फॉर्म या डिजिटल सर्वेक्षण आदि के बहाने व्यक्तिगत डेटा एकत्र करके लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों को पंजीकृत करने से जुड़ी किसी भी गतिविधि को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने कहा कि उल्लंघन किए जाने पर उनके खिलाफ वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की

जाएगी। श्री अग्रवाल ने कहा कि इस बारे जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए है।

****

हरियाणा व पंजाब में चावल मिल मालिकों की हड़ताल के बावजूद सरकारी एजेंसियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 69 हजार, 646 टन से अधिक धान की खरीद कर ली है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने बताया है कि कल तक राज्य की 241 मंडियों में कुल 2 लाख, 96 हजार 211 टन धान की आवक हुई। सरकारी एजेंसियों ने इसमें से 17% तक की नमी वाली 69 हजार 646 टन धान की खरीद कर ली है तथा 5 हजार 267 मीट्रिक टन धान का उठान कर लिया है।किसानों को समय पर भुगतान भी सुनिश्चित किया जा रहा है और अब तक तीन करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में वितरित किए गए हैं, जिससे 7 हजार, 276 से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि कल एक ही दिन में 1 हजार 662 टन धान का उठा किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग ने चावल मिल मालिकों की हड़ताल के चलते विशेष प्रबंध किए हैं ताकि किसानों को उनकी फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए।

****